मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
किसान भवन, 26, अरेरा हिल्स, भोपाल

ईमेल आईडी - niyaman.mpsamb@gmail.com

वेबसाइट - www.mpmandiboard.gov.in

क्रमांक/नियमन/फल सब्जी/212/पार्ट/420 भोपाल, दिनांक 5/09/2024

प्रति,

संयुक्त संचालक
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
आंचलिक कार्यालय............(समस्त)।

सचिव
कृषि उपज मंडी समिति ....(समस्त)।

विषय - "फल सब्जी के विपणन के लिए उपविधि सन् 2000" के अंतर्गत कमीशन के प्रावधानों का शब्दशः पालन करने के संबंध में।

"फल सब्जी विपणन के लिए उपविधि सन् 2000" की कंडिका 5(4) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें कमीशन एजेंट द्वारा नियोक्ता व्यापारी से लिए जाने वाले कमीशन की दर नियत की गई है। उपविधि संशोधन आदेश दिनांक 01.02.2016 से कमीशन की यह दर 2% निर्धारित है। इसके अतिरिक्त यह निर्विवादित रूप से स्पष्ट है कि विक्रेता कृषक से किसी प्रकार का कोई कमीशन नहीं लिया जा सकता है।

फल सब्जी विपणन में कमीशन के संबंध में उक्त प्रावधान का शब्दशः पालन कराया जाना, कृषि उपज मंडियों एवं आंचलिक कार्यालयों से अपेक्षित है।

इसमें किसी भी प्रकार की शिकायत की स्थिति या इन प्रावधानों के अपालन की स्थिति प्रकाश में आने पर इसे गंभीरतापूर्वक लिया जाकर शीघ्र निराकरण कार्यवाही / प्रतिबंधात्मक कार्यवाही / अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाए। इन प्रावधानों के अपालन की स्थिति में आंचलिक अधिकारियों के विरुद्ध भी अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जा सकेगी।

02/09/24

संयुक्त संचालक (नियमन)
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क्रमांक/नियमन/फल सब्जी/212/पार्ट/ 421 भोपाल, दिनांक 5/09/2024

प्रतिलिपि :-

उप संचालक (शिकायत शाखा) मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल, इस संबंध में प्राप्त होने वाली किसी भी शिकायत को अत्यंत गंभीरता से लिया जाकर शीघ्र निराकरण कराया जाए।

05/09/24

संयुक्त संचालक (नियमन)
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

Office_Docs_Amit 148